

छत्तीसगढ़ शासन  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर  
-----

क्र.: GENCOR/7996/2025-UAD/107707, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2-9-26

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,  
छत्तीसगढ़
2. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम,  
छत्तीसगढ़
3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत,  
छत्तीसगढ़

विषय:- विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकान बंद रखने बाबत।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्रमांक 906/69/मं/18-3/90 दिनांक 18.05.1990 एवं इस विभाग के पत्र क्रमांक 434, दिनांक 07.09.2002. व पत्र क्र 4124/4189/18/2006, दिनांक 12.8.2009 विभागीय समसमख्यक पत्र दिनांक 01.09.2017, दिनांक 14.06.2019 दिनांक 10.03.2021, एफ 11-2/2022/18 ( पार्ट-2) दिनांक 18.08.2022 एवं एफ-11-2/2022/18 दिनांक 09.09.2022

--00--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा विशिष्ट अवसरों पर छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकान बंद रखने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त अवसरों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी सम्मिलित है अतः तदनुसार शासन आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे।

(सोनमणि बोरा)

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

// 2 //

क्र.: GENCOR/7996/2025-UAD/107707, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2-9-26

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष सहायक मान. उप मुख्य मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. विशेष सहायक मान. मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
4. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
5. समस्त संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
6. गार्ड फाईल हेतु।

हस्ता/-  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग